## MFN Status for Trade between India and Pakistan

2117. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Pakistan is giving MFN (Most Favoured Nation) Status to India in trade as contemplated under recently established W.T.O. (World Trade Organisation);

(b) if so, the areas of trade to be affected;

(c) will India also reciprocate to accord Pakistan MFN Status in trade; and

(d) if so, areas of the trade to be affected?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (d) India and Pakistan are both members of the World Trade Organisation, and by virtue of Article 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade are obliged to extend Most Favoured Nation (MFN) treatment to each other, In compliance with our obligations, India has been according MFN treatment to Imports from Pakistan, except for the period between 1965 and 1974, when trade between the two countries was disrupted due to hosdimes, However, Pakistan dees not grant MFN treatment to Imports from India,

Under the expert and import policy of Pakistan, private sector trade with India is restricted to a list of §73 items where imports from India are permissible, In contrast, discriminatory restrictions are not imposed by India on imports from Pakistan. Since Pakistan does not reciprocate in full measure and restricts items of import from India, all trade between the two countries is affected.

## समेकित कोयला नीति

2118. श्री गोविन्द्राम मिरी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समेकित कोयला नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है: (ख) यदि हां, तो प्रस्तावित मीति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्न क्षेत्र लाये जायेंगे:

(ग) क्या कोबले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कोई विदेशी प्रौद्योगिकी मंगाई जायेगी:

(घ) क्या सरकार ने, समेकित कोयला नीति बनाने से पूर्व संसदीय समिति से सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा एक एकीकृत कोयला नीति को निष्पादित किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(ग) ऐसे कोयले का उत्पादन करने वाले देश, जोकिं प्रौधोगिकी के क्षेत्र में अप्रणीय हैं, उनके साथ विदेशी सहयोग किए जाने के मामले में अपेक्षानुसार विचार किया जाता है।

## (घ) और (४) जी, नहीं। बिबरण

## एकीकृत कोयला गाँस को निष्यादित करने जाली समिति के विचारार्थ विषय

सरकार हारा भ्याँ तथा 10याँ योजना अवधि के दौराम अंगीकृत किए जाने के लिए एक एकीकृत कोयला नीति से संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाना है। इसने, अन्य धार्तों के अलावा, निम्न को समाहित किया जाएगा:----

(अ) १७वीं तथा १०वीं योजनावांध (१९९७---2007) में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोक कर कोयले और लिन्माबंड की मांग की किस्ते विस्तृत रूप में मेल्यांकन।

1. विद्युत क्षेत्र:

(क) 9वीं तथा 10वीं योजनाओं (1997---2007) के लिए विद्युत क्षेत्र में विभिन्न ईंधनों की अतिरिक्तयों की क्षमता के साथ विद्युत मंत्रालय का अनुमान।

(ख) तापीय विद्युत उत्पादन किए जाने के लिए संगत लागतों का मूल्यांकन, जो कि विभिन्न प्रतिनिध्यात्मक स्थलों पर विभिन्न ईंधनों से संबंधित है, जिसमें पिटहैड तथा लदान केन्द्र शामिल है।

(ग) देशीय डीशेल्ड/परिष्कृत कोयले की तुलना में आयातित कोयले/प्राकृतिक गैस/विद्युत उत्पादन के लिए अन्य ईधन के चयन में न्युनतम लागत विकल्प का तकनीको-आर्थिक रूप में प्रयोग किया जाना, जो कि प्रति ताप यूनिट को सुपुर्दगी कीमत पर आधारित है और इसका संयंत्र कार्य-निष्पादन पर तथा उत्पादन करने की लागत पर प्रभावकारिता, जो कि आपूर्तियों की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के टुष्टिकोण को छोड़कर।

(ध) विद्युत उत्पादन के लिए नई तथा उभरतो कोलये की सफाई प्रौद्योगिकियों और 9वीं तथा 10वीं योजनाओं में उनको अंगीकृत किए जाने का अवसर।

2. इस्पात क्षेत्र:

(क) इस्पात बनाए जाने के लिए क्या नई तथा उभरती प्रौद्योगिकियां क्रियान्वयनाधीन हैं—कोयला धूल इंजेक्शन को शुरूआत, आंशिक ब्रिकेट का तथा निर्मित कोक, आदि। अकोककर कोयले का प्रयोग करना ताकि कोककर कोयले की निर्भरता कम की जा सके। 9वीं तथा 10वीं योजनाओं को अवधि में उनको अंगीकृत किए जाने के कितने अवसर है?

(ख) कहां तक इस्पात क्षेत्र कोककर कोयला वाशरियों के कार्य-निष्पादन पर विचार करता है, विशेषकर इस्पात संयंत्रों को धुले कोयले की की गई आपूर्ति की मात्रा तथा गुणवत्ता के संदर्भ में। क्या इस्पात संयंत्रों द्वारा सभी संभावित प्रौद्योगिकी के नवीकरण की सुविधा को प्रयोग में ले लिया गया है, जिसमें कोयले को छोड़कर कच्चे माल की लागत की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है।

(ग) क्या यहीत कोलियरियों (टिस्को) के कार्य-निष्पादन अधिकतम है, जिसे उनके द्वारा रखे गए भण्डारों के संदर्भ में देखा जाए?.

(घ) इस्पात बनाने के लिए देशीय कोयले की तुलना में आयातित कोयले के प्रयोग के क्या गुण-दोष हैं और कोयला/इस्पात उत्पादकों के आयातों पर प्रभावकारिता जिसमें उनके वाणिज्यिक हित तथा देश का हित शामिल है।

(आ) कोपला तथा लिग्राइट को उपलब्धता तथा संसाधनों तथा मांग को पूरा किये जाने के लिए उक्त की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता की समीक्षा, जो कि सी॰एम॰पी॰डी॰आई॰/एन॰एल॰सी॰ आदि द्वारा की गई है, 9वीं तथा 10वीं योजनाओं (1997—2007) की अवधि में की गई।

(क) संभावित मांग को पूरा किए जाने के लिए ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों के जरिए कोयले का उत्पादन किए जाने हेतु अधिकतम मिश्रण का सुनिश्चय करने के लिए अपेक्षित संकल्पना।

(ख) अधिकतम परिवहन यातायातों (रेल्से, सड़के, अन्तर्राज्यीय जल-परिवहन आदि) का विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति तथा उपलब्ध कराए जाने के लिए और संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकताओं में वृद्धि किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाना; अधिकतम मिश्रण को प्रोत्साहित किए जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई।

(ग) कोयले के उत्पादन तथा उपयोगिता से संबंधित
पर्याक्षरणीय मामले।

(ई) निवेश तथा इससे संबंधित मामले।

(क) वर्ष 2006----2007 तक कोयले की प्रक्षिप्त मांग को पूरा किए जाने के लिए कोयले, लियाइट, परिष्करण तथा संरचनात्मक/परिलहन सुविधाओं में उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि किए जाने के लिए अपेक्षित निवेशों का स्थूल, अनुमान, एक उपयुक्त नीति पैकेज का अंगीकरण ताकि निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के विद्यमान तथा संभावित प्राहक शामिल हैं।

(ख) कोयला उपभोक्ताओं के लिए तेजी से लागतों के बढ़ने के मामले में जिम्मेदार मुद्दों का बिनिर्दिष्टिकरण किया जाना और यह कार्य पिट-हैड कीमतों में निरन्तर वृद्धि के जरिए किया जाना, जो कि रायल्टी, रेलवे भाड़ा आदि में हुई वृद्धि के अलावा किया जाना; निम्न उत्पादकता उच्च उत्पादन लागत, बिक्री-वसूली में विलंब, धाटों को एकत्रित होना तथा उपभोक्ता संतोषप्रदत्ता में कमी होने जैसे सामरिक मामलों पर काबू पाना, कोयला उद्योग का पुनर्गठन किए जाने संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना, जिसमें अधिक स्वायत्तता, विधमान कीमतों तथा जाना, जिसमें अधिक स्वायत्तता, विधमान कीमतों क साध्यम से विभेदी-निर्वाह को प्रतिसंधित करना और संपूर्ण संगठन को बाजार आधारित प्रतिसंधी के लिए उग्मुख करने से संबंधित मामले शामिल है।

(ग) उपयुषत खनन क्रियाकलापों को प्रेत्साहित किए जाने, अपेक्षित पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को अंगीकृत किए जाने और उपभोषता हितों की सुरक्षा किए जाने के लिए अपेक्षित विनियमन उपाय किया जाना।